मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016
फोन नं. 0755.2430154, 2464643, फैक्स न. 2430158
ई–मेल – secmperc@sancharnet.in, वेबसाइट– www.mperc.nic.in

क्रमांकः 238/विनिआ/आर ई/2017 भोपाल, दिनांकः 07.02.2017

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 71/2016)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी–35(II) वर्ष 2015)'', दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को अधिसूचित किया गया एवं जो कि दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., इन्दौर, एवं मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर (जिन्हें ''याचिकाकर्ता'' उल्लेखित किया है।) मध्यप्रदेश राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है एवं इसके द्वारा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ दिनांक 05 जून 2012 को प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यो बाबत् अनुबंध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 की सकल राजस्व आवश्यकता की पूर्ति तथा दर निर्धारण के लिये दिनांक 25.01.2017 को याचिका दायर की है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति हेतु समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा दर प्रस्ताव का सारांश निम्नांकित हैः–

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकताः–

(रू करोड़ में)

वितरण	पूर्व क्षेत्र वि. वि.कं.लि.	मध्य क्षेत्र वि. वि.कं.लि.	पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि.	म.प्र राज्य
विद्युत क्रय की लागत (एक्स–बस,वितरण कंपनियों को आवंटित, म.प्र.पॉ.मै.कं. सहित)	6538	6939	7808	21285
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	452	437	574	1463
अन्तः राज्यीय पारेषण प्रभार (राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं अनुषंगीय लाभ सहित)	760	800	982	2541
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	166	184	140	490
कर्मचारी व्यय	998	1012	1029	3039
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (नियामाक आयोग की फीस सहित)	184	105	153	442
डूबन्त एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	84	99	101	283
अवमूल्यन एवं सम्बन्धित दायित्व	324	349	254	927
ब्याज एवं वित प्रभार	285	429	272	986
पूंजी पर प्रतिलाभ	264	301	256	820
सकल राजस्व आवश्यकता	**10055**	**10655**	**11569**	**32276**

घटायें अन्य आय (विलम्ब भुगतान प्रभार को छोड़कर)	177	150	151	478
राजस्व आवश्यकता	**9877**	**10504**	**11419**	**31800**
टैरिफ सत्यापन आदेंश वितरण वि.वर्ष 2006–07	119.00	136.00	168.00	423.00
टैरिफ सत्यापन आदेंश उत्पादन वि.वर्ष 2014–15	(169.00)	(186.00)	(207.00)	(562.00)
टैरिफ सत्यापन आदेंश पारेषण वि.वर्ष 2014–15	124.00	132.00	158.00	414.00
विगत वर्षो के टैरिफ सत्यापन आदेंश का प्रभाव	**74**	**82**	**119**	**275**
कुल राजस्व आवश्यकता	**9950**	**10586**	**11537**	**32073**
विद्यमान विद्युत–दर से राजस्व की प्राप्ति	8376	9114	10054	27545
विद्यमान विद्युत–दर पर आपूर्ति अंतर/आधिक्य	1574	1472	1483	4528
प्रस्तावित विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति	**9251**	**10087**	**11132**	**30470**
प्रस्तावित विद्युत दर पर आपूर्ति अन्तर/आधिक्य	**699**	**499**	**405**	**1603**

याचिकाकार्ताओं द्वारा वित्तिय वर्ष 2017–18 हेतु राजस्व अंतर रूपये 4528 करोड़ की प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से दर वृद्धि के द्वारा (रूपये 2926 करोड़) तथा शेष राशि वर्ष 2017–18 के लिये रेगुलेटरी असेट के द्वारा (रूपयें 1603 करोड़) प्रस्तावित की गई है।

वित्तिय वर्ष 2017–18 के आंशिक राजस्व अन्तर रूपये 2926 करोंड़ की भरपाई करने हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा श्रेणीवार दर वृद्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्वावित दर पर सकल राजस्व तथा उसका प्रभाव

दर श्रेणी		विक्रय	प्रचलित दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर पर राजस्व	प्रस्तावित दर पर अतिरिक्त आय	प्रस्तावित औसत वृद्धि
		मिलियन यूनिट	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	रू करोड़ मे	प्रतिशत में
एल.व्ही –1	घरेलू	12762	6933	7672	739	10.65%
एल.व्ही –2	गैर घरेलू	3008	2354	2596	242	10.28%
एल.व्ही –3	जलप्रदाय संयंत्र एवं पथ प्रकाश	1224	648	721	73	11.26%
एल.व्ही –4	निम्नदाब उद्योग	1239	930	994	64	6.88%
एल.व्ही –5.1	कृषि एवं कृषि संबंधित उपयोग	20750	9846	11023	1177	11.95%
एल.व्ही –5.3	योग (निम्नदाब)	138	61	68	7	11.47%
	योग (निम्नदाब)	**39122**	**20771**	**23075**	**2304**	**11.09%**
एच.व्ही–1	रेल्वे कर्षण	0	0	0	0	0
एच.व्ही–2	कोयला खदाने	477	350	379	29	8.28%
एच.व्ही–3.1	औद्योगिक	6646	4318	4714	396	9.17%
एच.व्ही–3.2	गैर औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल	1099	839	923	84	10.01%
एच.व्ही–3.4	गहन पावर उद्योग	1067	562	603	41	7.29%
एच.व्ही–4	मौसमी एवं सार्वजनिक	22	19	20	1	5.26%

	जल प्रदाय संयंत्र					
एच.व्ही–5	सिंचाई एवं सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र	801	405	449	44	10.86%
एच.व्ही–6	विपुल आवासीय उपयोगकर्ता	490	280	306	26	9.28%
एच.व्ही–7	तुल्यकालन/पावर शुरू करने हेतु थोक विद्युत प्रदाय	1	1	1	-	9.6%
	योग (उच्चदाब)	**10604**	**6774**	**7395**	**621**	**9.16%**
	योग (निम्नदाब+उच्चदाब)	**49725**	**27545**	**30470**	**2926**	**10.62%**

इच्छुक व्यक्ति सकल राजस्व आवश्यकता एवं दर प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां अथवा टीप अथवा सुझाव तीन प्रतियों में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई–5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक 02/03/2017 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियों/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई–मेल (secmperc@sancharnet.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती हैं जिनकी मूल प्रतियां दिनांक 02/03/2017 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 02/03/2017 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य याचिका की प्रति (अंग्रेजी अथवा हिंदी रूपांतरण) इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 09/02/2017 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर, ब्लॉक न. 15, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., पोलोग्राउन्ड, इन्दौर, अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., गोविन्दपुरा भोपाल से एक प्रति के लिए रू. 600/– के भुगतान नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर, अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र.पूर्व वि.वि.कं.लि., जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउण्ड इन्दौर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. गोविन्दपुरा भोपाल क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/– के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति एवं याचिका की संक्षेपिका नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.nic.in तथा याचिकाकर्ताओ की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez.co.in, www.mpwz.co.in and www.mpcz.co.in पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।

आयोग के आदेशानुसार

सचिव